



RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

# गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 348

दि. 21.04.2026,

मंगलवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

## तमिलनाडु चुनाव में 'दाग' और 'धन' की दोहरी छाया, उम्मीदवारों की प्रोफाइल ने बढ़ाई चिंता

Chennai से लेकर पूरे Tamil Nadu में विधानसभा चुनाव की सरगमी के बीच उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को लेकर तो तस्वीर सामने आई है, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। Association for Democratic Reforms की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव मैदान में उतरने प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण कई चौंकाने वाले संकेत देता है—जहाँ एक ओर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर करोड़पति प्रत्याशियों का दबदबा भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार कुल 3992 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का अध्ययन किया गया, जिनमें से 722 यानी करीब 18 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का संकेत है कि चुनावी राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की भागीदारी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे



भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इन 722 उम्मीदवारों में से 404 यानी लगभग 10 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यदि पिछली चुनावी तस्वीर से तुलना करें, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में 13 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे और केवल 6

Munnatra Kazhagam के 170 में से 118 उम्मीदवारों, यानी लगभग 69 प्रतिशत ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। Tamilaga Vettri Kazhagam के 231 में से 92 उम्मीदवार और Dravida Munnetra Kazhagam के 175 में से 70 उम्मीदवार भी इसी श्रेणी में आते हैं।

अन्य दलों की स्थिति भी अलग नहीं है। Bharatiya Janata Party के 48 प्रतिशत, Indian National Congress के 50 प्रतिशत, Pattali Makkal Katchi के 50 प्रतिशत, Desiya Murpokku Dravida Kazhagam के 50 प्रतिशत, Communist Party of India के 60 प्रतिशत और Communist

Party of India (Marxist) के 80 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। यह आंकड़ा इस बात को रेखांकित करते हैं कि यह समस्या किसी एक दल तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। गंभीर आपराधिक मामलों के संदर्भ में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। एआईएडीएमके के 35 प्रतिशत, भाजपा के 27 प्रतिशत, पीएमके के 33 प्रतिशत और डीएमके के 18 प्रतिशत उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप दर्ज हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीतिक दल जीत की संभावना को प्राथमिकता देते हुए उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस चुनाव में धनबल का प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो गया है। कुल उम्मीदवारों में से 981 यानी लगभग 25 प्रतिशत करोड़पति हैं। इनमें से 22 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक

है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि चुनाव लड़ना अब एक महंगा और संसाधन-प्रधान प्रक्रिया बन चुका है, जिसमें आम आदमी की भागीदारी सीमित होती जा रही है। औसत संपत्ति के आंकड़े भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। इस बार उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.17 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जो 2021 में 1.72 करोड़ रुपये थी। यानी कुछ ही वर्षों में यह आंकड़ा लगभग तीन गुना बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर चार उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिनोंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है, जो इस असमानता को और अधिक उजागर करता है। शिक्षा के स्तर पर तस्वीर अपेक्षाकृत संतुलित दिखती है। 43 प्रतिशत उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक शिक्षित हैं, जबकि 46 प्रतिशत स्नातक या उससे अधिक पढ़े-लिखे हैं। यह संकेत देता है कि शिक्षा के मामले में विविधता मौजूद है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो।

महिला भागीदारी के मामले में स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। कुल उम्मीदवारों में केवल 442 महिलाएं हैं, जो लगभग 11 प्रतिशत के बराबर हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राजनीति में लैंगिक संतुलन अभी भी एक दूर का लक्ष्य है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। सही पहलू इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चुनावी सुधारों की ज़रूरत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राजनीतिक दल इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और अपनी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्वच्छता और संतुलन को प्राथमिकता देते हैं, या फिर यह प्रवृत्ति आगे भी इसी तरह जारी रहती है।

## अति संवेदनशील बूथों पर सिर्फ सीआरपीएफ तैनाती, बंगाल में सख्त चुनावी सुरक्षा का खाका

Kolkata से निकलकर पूरे West Bengal में चुनावी माकल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले प्रशासन और चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उन मतदान केंद्रों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें 'अति संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है, और अब इन सभी बूथों की जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल Central Reserve Police Force को सौंप दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की आशंका को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। निर्वाचन आयोग और खुफिया एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में साफ संकेत मिले हैं कि कुछ इलाकों में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदानाओं को डराने या बूथ केज्वरिंग जैसी घटनाओं की कोशिश हो सकती है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए एनपीएफ के कदम उठाया गया है, ताकि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके। इस बार 152 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान होना है, जो अपने आप में एक




बड़ा प्रशासनिक और सुरक्षा चुनौती है। ऐसे में हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्णय बेहद अहम हो जाता है। खासकर वे बूथ, जहां पहले हिंसा या गड़बड़ी की घटनाएं हो चुकी हैं या जहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, वहां किसी भी प्रकार की हिलाई प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 18 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन बूथों को अति संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है, वहां किसी भी हालत में स्थानीय पुलिस या अन्य बलों की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि पहले से कहीं ऐसा आदेश जारी हुआ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और वहां केवल सीआरपीएफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश राज्य पुलिस, सीआरपीएफ के

वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। इस आदेश का उद्देश्य साफ है—अति संवेदनशील बूथों पर पूरी तरह निष्पक्ष और बाहरी सुरक्षा बल की मौजूदगी सुनिश्चित करना, जिससे स्थानीय प्रभाव या दबाव की संभावना समाप्त हो सके। चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इस बार उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सीआरपीएफ को उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है, जहां हालात सबसे ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। यह बल न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालेगा, बल्कि मतदान केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा। अक्सर संवेदनशील इलाकों में लोग डर के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते या उन पर दबाव बनाया जाता

है। ऐसे में सीआरपीएफ की मौजूदगी उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे सकती है, जिससे मतदान प्रक्रिया भी बेहतर हो सकती है। हालांकि, इस फैसले के साथ ही प्रशासन के सामने एक और चुनौती है—इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की प्रभावी तैनाती और समन्वय। इसके लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों और निर्वाचन आयोग के बीच बेहतर तालमेल ज़रूरी होगा। हर बूथ तक समय पर बलों की पहुंच, उनकी तैनाती और निगरानी एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे सावधानीपूर्वक अंजाम देना होगा। पिछले चुनावों के अनुभव भी इस बार की रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार यह देखा गया है कि संवेदनशील बूथों पर मामूली चूक भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही सख्ती बरती जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में इसकी पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखना हर संस्था की जिम्मेदारी है। सीआरपीएफ की तैनाती का यह निर्णय उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

## आधार सत्यापन का नया दौर: बिना डेटाबेस जुड़े तेज सुरक्षित और नागरिक-नियंत्रित पहचान प्रणाली

नई दिल्ली से आई यह खबर देश की डिजिटल पहचान व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। Unique Identification Authority of India के तहत शुरू किए गए आधार आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम ने महज तीन महीनों में ही व्यापक स्वीकार्यता हासिल कर ली है। 100 से अधिक संस्थाओं का इससे जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि यह व्यवस्था न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि उपयोग में भी आसान और भरोसेमंद बन रही है। यह नया सिस्टम पारंपरिक पहचान सत्यापन प्रक्रिया से अलग है, जहाँ हर बार केंद्रीय डेटाबेस से जुड़कर जानकारी की पुष्टि करनी पड़ती थी। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के जरिए व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर सकता है, वह भी बिना किसी लाइव डेटाबेस एक्सेस के। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि डेटा सुरक्षा के स्तर पर भी यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इस व्यवस्था में क्यूआर कोड और डिजिटल साइन किए गए दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी जानकारी



साझा करता है, जिसे संबंधित संस्था आसानी से सत्यापित कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बार-बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने, पहचान पत्र दिखाने या लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इस नई प्रणाली में नियंत्रण पूरी तरह व्यक्ति के हाथ में है। अब नागरिक खुद तय कर सकता है कि वह अपनी कौन-सी जानकारी साझा करना चाहता है और किसके साथ। यह व्यवस्था डेटा गोपनीयता के उस चिह्नित को मजबूत करती है, जिसमें व्यक्ति की निजी जानकारी पर उसका अधिकार सर्वोपरि माना जाता है। सरकार का मानना है

कि यह सिस्टम कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बैंकिंग और फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहक सत्यापन की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। होटल और इवेंट सेक्टर में पहचान जांच के लिए लगने वाला समय घटेगा, जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर होगा। शिक्षा संस्थानों और विभिन्न वेरिफिकेशन एजेंसियों के लिए भी यह एक प्रभावी और समय बचाने वाला समाधान साबित हो सकता है। डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्य के तहत यह कदम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। देश में तेजी से बढ़ रही डिजिटल सेवाओं के बीच यह ज़रूरी हो गया था कि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो। ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन सिस्टम इसी दिशा में एक ठोस पहल है। इसके साथ ही, यह सिस्टम उन क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है या

जहां रियल-टाइम डेटाबेस एक्सेस संभव नहीं है। ऐसे स्थानों पर भी अब पहचान सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा, जिससे सेवाओं की पहुंच और व्यापक होगी। हालांकि, इस नई व्यवस्था के साथ जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को यह समझना होगा कि वे अपनी जानकारी किस तरह साझा करें और किन संस्थाओं पर भरोसा करें। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक सतर्क रहें और अपनी जानकारी केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर ही साझा करें। कुल मिलाकर, आधार आधारित ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा कदम है, जो तकनीक और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह न केवल पहचान सत्यापन को आसान बनाता है, बल्कि व्यक्ति को उसकी जानकारी पर अधिक नियंत्रण भी देता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रणाली कितनी तेजी से और किन-किन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करती है, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि डिजिटल पहचान के क्षेत्र में भारत एक नए और अधिक सुरक्षित युग की ओर बढ़ रहा है।

## 19,694 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी में बड़ा एक्शन, आरकाँम के दो वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई और नई दिल्ली से सामने आया यह घटनाक्रम देश की बैंकिंग व्यवस्था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी Central Bureau of Investigation ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए Reliance Communications से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक ऐसे मामले में हुई है, जिसमें हजारों करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत State Bank of India द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई। बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी को दी गई क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया और इसके बजाय संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के जरिए धन का दुरुपयोग किया गया। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने नियमित मामला दर्ज किया, जिसमें कंपनी, उसके प्रमोटर Anil Ambani और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। यह मामला केवल एक बैंक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर देश के कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक फैला हुआ है। अकेले एसबीआई को करीब 2929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि कुल मिलाकर 17 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को



लगभग 19,694.33 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यह आंकड़ा इस मामले को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी में शामिल करता है। सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि कथित रूप से कंपनी के भीतर ही कुछ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया गया था। इन फर्जी संस्थाओं के जरिए धन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया, जिससे वास्तविक लेनदेन को छिपाया जा सके। यह तरीका कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों में अक्सर अपनाया जाता है, जहां कागजों पर सब कुछ वैध दिखता है, लेकिन असल में धन का प्रवाह पूरी तरह संदिग्ध होता है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने अपने ही समूह की अन्य संस्थाओं के साथ कथित तौर पर फर्जी सेवा-संबंधित लेनदेन

दिखाए। इन लेनदेन के आधार पर लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी किए गए और उन्हें डिस्काउंट कराया गया। बाद में ये सभी एलसी डिफॉल्ट हो गए, जिससे बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित वित्तीय हेराफेरी की ओर इशारा करती है, जिसमें कई स्तरों पर नियमों को दरकिनार किया गया। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो शीर्ष अधिकारियों—डी विश्वनाथ और अनिल काल्या—को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का मानना है कि ये दोनों अधिकारी इस कथित धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और इनके जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारीयों सामने आ सकती हैं। यह मामला केवल एक कंपनी या कुछ अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की वित्तीय

प्रणाली की उन कमजोरियों को भी उजागर करता है, जिनका फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। जब हजारों करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाता है, तो उसकी निगरानी और उपयोग की जांच भी उतनी ही सख्ती से होनी चाहिए। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन और निगरानी के तंत्र पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। क्या बड़े कॉर्पोरेट लेन देने से पहले और उसके बाद पर्याप्त जांच-पड़ताल की जाती है? और यदि की जाती है, तो फिर ऐसे मामलों में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? सीबीआई की जांच अब इस पूरे नेटवर्क को समझने पर केंद्रित है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल थे, शेल कंपनियों का नेटवर्क कितना बड़ा था और इस पूरे प्रकरण में धन का वास्तविक प्रवाह किस तरह हुआ। यह मामला आने वाले समय में और भी कई खुलासे कर सकता है, जो न केवल संबंधित कंपनी के लिए, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि 19,694 करोड़ रुपये से अधिक के इस कथित धोखे ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को गहरा झटका दिया है और अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की जांच की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

**गरवी गुजरात**  
हिन्दी

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

**देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये**





# 8 साल के मासूम की पुकार ने रोकी दो जिंदगियां, बूंदी में बाल विवाह पर करारा वार

राजस्थान के बूंदी जिले से आई यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए आईना है—एक ऐसा आईना जिसमें एक आठ साल के बच्चे का साहस, संवेदनशीलता और जागरूकता साफ दिखाई देती है, जबकि दूसरी ओर सदियों पुरानी कुरीतियों की जड़ता भी उजागर होती है। जब बड़े लोग परंपराओं और सामाजिक दबावों के आगे चुप हो जाते हैं, तब एक मासूम की आवाज़ ने न सिर्फ एक बच्ची का भविष्य बचाया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असल में जिम्मेदारी किसकी है।

यह घटना अक्षय तृतीया की रात की है—एक ऐसा दिन जिसे कई समुदायों में शुभ विवाह मुहूर्त माना जाता है। लेकिन इसी “शुभता” के नाम पर कई बार मासूम बचपन की बलि चढ़ा दी जाती है। बूंदी के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आठ साल की एक बच्ची, जो अभी स्कूल जाती थी, खेलती थी, सपने देखती थी, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसी गांव में रहने वाला उसका एक दोस्त—सिर्फ आठ साल का एक बालक—यह सब देख रहा था। उसे यह समझ आ गया कि उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने वह किया, जो शापद कई समझदार और बड़े लोग भी नहीं कर पाते—उसने आवाज़ उठाई।

उस मासूम ने Childline 1098 पर कॉल किया और बेहद सरल, लेकिन दिल

को छू लेने वाले शब्दों में कहा—“भैया/दीदी, मेरी दोस्त की शादी रोक दीजिए। वह बहुत छोटी है, वह पढ़ना चाहती है।” इस एक कॉल ने घटनाओं की दिशा बदल दी। सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन की टीम सक्रिय हुई। जिला कोऑर्डिनेटर रामनारायण गुर्जर और केस वक्कर अचंना मीना तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जो दृश्य था, वह चौंकाने वाला था—पार्षवों कक्षा में पढ़ने वाली आठ साल की बच्ची की शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया। डबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास की मदद से मौके पर हस्तक्षेप किया गया और न सिर्फ उस बच्ची को, बल्कि वहां मौजूद एक और 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी बचाया गया, जिसकी शादी उसी शाम होने वाली थी। दोनों को सुरक्षित निकालकर Child Welfare Committee के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया गया।

यह घटना कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ एक छोटा बच्चा है, जिसे यह समझाई है कि उसकी दोस्त का अधिकार क्या है—शिक्षा, बचपन और अपने भविष्य का चुनाव। दूसरी तरफ समाज के वे लोग हैं, जो आज भी बाल विवाह जैसी कुरीति को परंपरा के नाम पर रो रहे हैं। यह विरोधाभास ही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।

# तेल की धार और भीड़ का लोभ: हादसे के बाद हाईवे पर ‘लूट’ का मंजर

राजस्थान के Tonk जिले में Tonk–Deoli National Highway 52 पर एक सड़क हादसा ऐसा दुर्घ्न छोड़ गया, जिसने इंसानी प्रवृत्तियों पर कई सवाल खड़े कर दिए। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ही मिनटों में वह एक तमशारे में बदल गई, जहाँ सड़क पर बहता सरसों का तेल लोगों के लिए जैसे ‘मुप्त की दौलत’ बन गया और देखते ही देखते भीड़ उस पर बढ़ पड़ी।



घटना दाखिया गांव के पास हुई, जहाँ सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने साइड से उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर की साइड में बड़ा छेद हो गया और उसमें भरा हजारों लीटर सरसों का तेल तेज धार के साथ सड़क पर बहने लगा। कुछ ही पलों में हाईवे का दृश्य पूरी तरह बदल गया—जहाँ पहले गाड़ियाँ दौड़ रही थीं, वहीं अब पीले रंग की तेल की धार फैल चुकी थी। शुरुआत में यह केवल एक हादसा था, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी, घटनास्थल पर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते यह भीड़ एक ऐसे दृश्य में बदल गई, जिसे देखकर हैरानी भी होती है और चिंता भी। लोग बाल्टी, डिब्बे, बोलतल, कनस्ट्र—जो भी हाथ में आया, उसे लेकर दौड़ पड़े। कोई तेल को बर्तनी धारा से पर रहा था, तो कोई सड़क के किनारे जमा हो रहे तेल को इकट्ठा कर रहा था। कुछ लोग तो इतने ‘जुगाड़ू’ नजर आए कि उन्होंने छोटे-छोटे गड्ढों में जमा तेल को भी सावधानी से निकालकर अपने बर्तनों में भरना शुरू कर दिया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि यह एक दुर्घटना का परिणाम है, न कि कोई बाँटी जा रही वस्तु।

इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। लेकिन भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण था जितना हो सके तेल अपने साथ ले जाना। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग खुलेआम तेल भरते और ले जाते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो केवल एक घटना का दर्तावेज नहीं, बल्कि उस मानसिकता को भी उजागर करता है, जहाँ मौके का फायदा उठाना एक सामान्य व्यवहार बन जाता है।

राजधानी में ही Mehandwas Police Station की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को टैंकर के पास से हटया और धीरे-धीरे भीड़ को वहां से हटया। इसके बाद यातायात को बहाल करने की कोशिश की गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टैंकर का अधिकांश तेल पांचाराम पर 4 लाख रुपये का दंड ठोक दिया गया। इसके साथ ही दोनों को समाज से बहिष्कृत कर उनका ‘हुक्का पानी’ बंद करने का फरमान जारी किया गया। ग्रामीण परिवेश में यह दंड केवल एक सामाजिक सजा नहीं, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व को शुरुआत का सफना था। लेकिन अचानक एक ऐसा फरमान आया, जिसने इन सभी सपनों को जैसे रोक दिया।

इस पंचायत में डाल दिया। इस पंचायत में शामिल समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मंगीलाल ने मिलकर विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उसके बहनोई



भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जो स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को अंध धहराता है। इसके बावजूद, खासकर ग्रामीण और

पिछड़े क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। इसके पीछे कई कारण हैं—गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक दबाव, परंपराओं का गलत अर्थ, और कई बार कानून के प्रति लापरवाही। बूंदी जिले में गुर्जर, मीना, मेघवाल, माली,

रेगर, बरवा और भील जैसे समुदायों में अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से बाल विवाह होने की घटनाएँ अक्सर सामने आती रही हैं। यह दिन “अखा तीज” के नाम से जाना जाता है और इसे बिना मुहूर्त देखे विवाह करने

के लिए शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते कई परिवार अपने बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, बिना यह सोचे कि इसका उनके जीवन पर कितना गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि प्रशासन अब इस समस्या को

## सरहदों से लंबा इंतजार, अखिर जोधपुर में सजी प्रेम की दहलीज



थे, लेकिन तभी समय ने करवट ली और परिस्थितियां बदल गईं।

साल 2011 में बेहतर भविष्य की तलाश में अमित सुथार अपने पिता प्रदीप सुथार से साथ पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए और Jodhpur में बस गए। यह फैसला उनके जीवन के लिए नया अध्याय लेकर आया, लेकिन इसी के साथ उनके रिस्ते पर एक लंबी दूरी की छाया भी पड़ गई। रक्षा, जो उनकी मंगेतर थी, सरहद के उस पार ही रह गईं। भारत और पाकिस्तान के

बीच तनावपूर्ण रिस्ते ने इस दूरी को और कठिन बन दिया। वीजा प्रक्रिया इतनी जटिल और अनिश्चित थी कि हर कोशिश उम्मीद जगाती और फिर निराशा में बदल जाती। साल दर साल गुजरते गए। अमित ने भारत में अपने

करियर को आगे बढ़ाया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, वहीं रक्षा ने पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता समय और दूरी के बावजूद अडिग रहा। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की कहानी थी, जिसमें हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और एक अपूरी चाहत के साथ

## रुवा संकल्प से सशक्त होगा लोकतंत्र: राजकोट के रामकृष्ण आश्रम में मतदान जागरूकता की नई अलख

गुजरात के राजकोट में लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रेरक पहल देखने को मिली, जहां युवाओं ने न केवल मतदान के महत्व को समझा, बल्कि उसे जीवन का अनिवार्य कर्तव्य मानते हुए सक्रिय भागीदारी का पहला प्रतिक्रिया मंडल करने के बजाय सामान उठाने की हो, तो यह सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आईना है। इसमें एक ओर लापरवाही से हुआ हादसा है, तो दूसरी ओर उस हादसे के बाद उभरती भीड़ और धीरे-धीरे भीड़ को वहां से हटाना। यह आयोजन ऐसे मजबूर करती है कि क्या हम संवेदनशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं या फिर धीरे-धीरे संवेदनहीन होते जा रहे हैं।

Ramakrishna Mission Ashram में किया गया, जहां ‘विवेकानंद सर्विस कोर’ के अंतर्गत युवाओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मतदान के लिए प्रेरित करना नहीं था, बल्कि युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना भी था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व से जुड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई।

इस अभियान को Election Commission of India की पहल SWEEP के तहत संचालित किया जा

रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना और उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। जिला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश के मार्गदर्शन में राजकोट जिले में यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। प्रशासन के भीतर लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे और हर नागरिक मतदान के महत्व को समझे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो देश के भविष्य को तय करती है। प्रशिक्षकों ने युवाओं को यह समझाया कि

# तुगलकी फरमान के सारे में थमी रहनाइयाँ बहिष्कार के डर में जकड़ा एक परिवार

राजस्थान के Jalore जिले के Bhimnal से सामने आई यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि उस सामाजिक विडंबना का प्रतीक है, जहाँ आज भी कुछ स्वयंभू लोग कानून से ऊपर खड़े होकर परिवारों की खुशियों पर पहरा लगाने की कोशिश करते हैं। भादरड़ा रोड निवासी वरदाराम माली का घर इस समय उसी शरदी से गुजर रहा है, जहाँ शहनाइयाँ की जगह सन्नाटा और उत्सव की जगह भय ने ले ली है।

घर में इन दिनों खुशियों का माहौल होना चाहित था। बेटे और दो बेटियों की शादी की तैयारियाँ चल रही थीं। रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा रहे थे, आंगन में मंडप की कल्पना की जा रही थी, और परिवार के हर सदस्य की आँखों में एक नए जीवन की शुरुआत का सफना था। लेकिन अचानक एक ऐसा फरमान आया, जिसने इन सभी सपनों को जैसे रोक दिया। इस पंचायत में डाल दिया। इस पंचायत में शामिल समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मंगीलाल ने मिलकर विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उसके बहनोई



पांचाराम पर 4 लाख रुपये का दंड ठोक दिया गया। इसके साथ ही दोनों को समाज से बहिष्कृत कर उनका ‘हुक्का पानी’ बंद करने का फरमान जारी किया गया। ग्रामीण परिवेश में यह दंड केवल एक सामाजिक सजा नहीं, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व को शुरुआत का सफना था। लेकिन अचानक एक ऐसा फरमान आया, जिसने इन सभी सपनों को जैसे रोक दिया। इस पंचायत में डाल दिया। इस पंचायत में शामिल समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मंगीलाल ने मिलकर विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उसके बहनोई

का आरोप है कि यह पूरा मामला केवल सामाजिक नियमों का नहीं, बल्कि दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर पहले ही Bhimnal Police Station में सजा नहीं, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व को शुरुआत का सफना था। लेकिन अचानक एक ऐसा फरमान आया, जिसने इन सभी सपनों को जैसे रोक दिया। इस पंचायत में डाल दिया। इस पंचायत में शामिल समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मंगीलाल ने मिलकर विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उसके बहनोई

का विषय है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या आज भी समाज के कुछ हिस्सों में कानून से ऊपर स्वयंभू पंचायतें काम कर रही हैं? क्या किसी व्यक्ति के निजी जीवन के फैसले को आधार बनाकर पूरे परिवार को सजा देना न्यायसंगत है? और सबसे बड़ा सवाल—क्या हम सच में एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है?

भारत का संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लिब-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को लेकर भी न्यायपालिका कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि यह व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा है। ऐसे में किसी पंचायत द्वारा इस तरह का फरमान जारी करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह मानवाधिकारों की भी उल्लंघन है।

आज वरदाराम माली का परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष का प्रतीक है, जो अधुनिक कानून और पुराने सोप के बीच चल रहा है। जब तक कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। उनका कहना है कि वे कानून पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज के कुछ लोग अपने नियम थोप रहे हैं, वह चिंता



# ‘लेट्स वोट’ से जागा सूरत: लोकतंत्र के पर्व को जन-जन तक पहुंचाने की नई पहल

गुजरात के सूरत शहर में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जिसने मतदान जागरूकता के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए डिजिटल और रचनात्मक माध्यमों का सहारा लिया है। आगामी लोकल बाँटी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई ‘लेट्स वोट’ डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ एक फिल्म है, बल्कि एक संदेश है—एक ऐसा संदेश जो हर नागरिक को उसके अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाता है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि जब सामाजिक संस्थाएँ, प्रशासन और नागरिक समाज एक साथ आते हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

इस डॉक्यूमेंट्री को Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry और Surat Citizen Council ने मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य पूरी तरह गैर-राजनीतिक है, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर रहते हुए नागरिकों को निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इस फिल्म की लॉन्चिंग 20 अप्रैल 2026 को सूरत के सरसाना स्थित उपाकंठ मार्फतिया सेमिनार हॉल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की गई, जहां शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तीन मिनट की इस लघु डॉक्यूमेंट्री को और भी विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाती गया है, जिसमें संदेश को सरल, स्पष्ट और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट Dr. Mukul



Chokshi ने लिखी है, जबकि निर्देशन Vaibhav Desai ने किया है। संगीत Jimmy Desai द्वारा तैयार किया गया है और प्रोडक्शन को जिम्मेदारी Setu Upadhyay ने निभाई है। इस पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है, जो कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखता है। इस पहल को ख़ास बनाता है इसमें शामिल शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तिवत्तों का योगदान। Anupam Singh Gehlot, Dr. Saurabh Pardhi, M. Nagarajan, Veer Narmad South Gujarat University के वाइस चांसलर Dr. Kishor Singh Chavda और अभिनेत्री Yukti Randeria जैसे नामों की मौजूदगी इस डॉक्यूमेंट्री को और भी विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाती है। इन सभी ने अपने-अपने तरीके से नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

लेकर पहले से अधिक सतर्क है। बूंदी जिला प्रशासन ने एक बहुस्तरीय निगरानी तंत्र तैयार किया है, जिसमें 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर (0747-2442305), और जमीनी स्तर पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेंविकार् और स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। इन सभी को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

इस घटना के बाद प्रशासन ने और भी सख्ती दिखाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चार निषेधाज्ञाएँ जारी की गईं, जिनके तहत संपातित बाल विवाहों को रोकने के आदेश दिए गए। कई मामलों में समय रहते हस्तक्षेप कर नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। एक मामले में 10वीं कक्षा की छात्रा की शादी 28 साल के युवक से कराई जा रही थी, जिसे न्यायिक आदेश से रोका गया। यह दिखाता है कि यदि प्रशासन, समाज और जागरूक नागरिक मिलकर काम करें, तो इस कुरीति को रोका जा सकता है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिर एक आठ साल के बच्चे को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? समाज के बड़े लोग, परिवार, पड़ोसी—सब कहाँ थे? यह सवाल सिर्फ बूंदी या राजस्थान का नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। जब तक समाज खुद इस समस्या को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक कानून और प्रशासन भी

सीमित ही प्रभाव डाल पाएंगे। इस घटना ने यह भी साबित किया कि जागरूकता की कोई उम्र नहीं होती। यदि बच्चों को सही शिक्षा और मूल्यों के साथ बड़ा किया जाए, तो वे भी समाज में बदलाव के वाहक बन सकते हैं। स्कूलों में बाल अधिकार, शिक्षा का महत्व और कानून की जानकारी देना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चे खुद अपने और दूसरों के अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।

इस मासूम बच्चे की हिम्मत ने न सिर्फ एक दोस्त का जीवन बचाया, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया है—गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों न हों। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है—एक छोटे से फोन कॉल से, एक सच्ची भावना से, और एक मजबूत इरादे से।

आज जरूरत है कि हम इस घटना को सिर्फ एक खबर की तरह न देखें, बल्कि इससे सीख लें। हर नागरिक, हर परिवार और हर संस्था को यह समझना होगा कि बाल विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अपराध है—एक ऐसा अपराध जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में डुबेल देता है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। लेकिन अगर एक आठ साल का बच्चा बदलाव की शुरुआत कर सकता है, तो हम सब मिलकर इसे पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर सकते?

